



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#AMETHIPOLICE

#OPERATIONCONVICTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या के अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 19,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी की दिनांक 19.06.2019 की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को लाठी डण्डों से मारकर हाथ पैर तोड़ देना जिससे इलाज के दौरान वादी की मृत्यु हो जाने पर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी पर मु०अ०सं० 257/19 धारा 147/323/504/506/304/34 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 21.03.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 19,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास।
- अभियुक्तों को 19,000 रुपये अर्थदण्ड।

दोषसिद्ध अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. असलम पुत्र अब्दुल रशीद,
2. सऊद,
3. मसूद पुत्रगण असलम,
4. बिसमिल्ला पुत्र लाल मो०,
5. नूर हसन पुत्र जमाल
6. सिकन्दर पुत्र इद्रीश नि०गण बिबियापुर मजरे नवांवा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्रीमती
अलका बाजपेई



पैरोकार उ०नि०
कृष्णकुमार



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी